ायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

सीन अधिकारीः– श्री प्रभूदयाल शर्मा आर.ए.एस.

ना पत्र सं: 241/217 पुनः दर्ज 31/18

य दिनांकः 09.04.17

1. सालासर काम्पलेक्सेज एण्ड बिल्डकोन प्रा. लि. जयपुर जरिये निदेशक तनवीर खान पुत्र श्री एम आई खान एडवोकेट जाति मुसलमान निवासी जयपुर

बनाम **प्रार्थी**

1. बंशीलाल पुत्र छीतरमल जाति जाट नि. रामपुरा वाडियॉ गुढाबेरसल त. मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
2. रामकरण पुत्र भुराराम जाति जाट नि. रामपुरा वाडियॉ गुढाबेरसल त. मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
3. गोपाललाल पुत्र हनुमानलाल कुमावत जाति कुमावत नि. आसलपुर त. फुलेरा जिला जयपुर राज.
4. कर्नल रणबीरसिंह यादव पुत्र रामेसर सिंह यादव जाति यादव नि. श्रीरामवाटिका निवारू रोड झोटवाडा जयपुर
5. तहसीलदार जी तह. सांभरलेक जिला जयपुर राज.
6. श्रीमति सीमा खण्डेलवाल पत्नि मनोज कुमार खण्डेलवाल जाति खण्डेलवाल महाजन निवासी ए–1 मुखर्जी कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर।
7. श्रीमति अनीता जसोरिया पत्नि श्री अशोक कुमार खण्डेलवाल महाजन निवासी ई–58 शास्त्रीनगर जयपुर
8. श्रीमति कविता सेंठी पत्नि श्री अनिल कुमार खण्डेलवाल महाजन नि0 अशोक बिहार अलवर राज0
9. आशिष कुमार पुत्र श्री हनुमान सहाय गोयल जाति महाजन अग्रवाल निवासी 104 दीनानाथ जी की गली चांदपोल बाजार जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 भू0 राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सालासर काम्पलेक्सेज की ओर से पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.18 को कर दिया गया था। उक्त निर्णय के खिलाफ सीमा खण्डेलवाल, अनीता तथा कविता ने मान्य न्यायालय संभागीय आयुक्त में अपील कर यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में हम आवश्यक पक्षकार नहीं थे हमे सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। इस पर मान्य संभागीय आयुक्त महोदय ने दोनो पक्षो की सहमति से यह आदेश दिया कि उभय पक्ष को सुनकार पुनः पत्थरगढी का आदेश 15 दिवस में पारित करें।

इस दरम्यिान अपीलार्थी सीमा, अनीता व कविता ने उक्त आराजीयात के संबंध में एक वाद व प्रार्थना पत्र पेश कर अपने आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने, मेडबन्दी नहीं तोडने का निवेदन का स्थगन ले लिया जो उक्त धारा 128 के प्रार्थना पत्र के साथ साथ चल रहा है। सीमा खण्डेलवाल, अनिता, कविता, आशीष गोयल अपनी आराजी की सीमा की सुरक्षा न्यायालय से कराना चाहते है परन्तु अप्रार्थी आशीष गोयल के सिवाय अप्रार्थी सीमा, अनिता व कविता द्वारा धारा 128 के प्रार्थना पत्र में जानबूझकर उपस्थित नहीं होना चाहते है। जबकि इसी न्यायालय में अपीलार्थीगण की ओर से अन्य वाद प्रस्तुत कर विचारण में है।

Scanned by CamScanner

उक्त प्रकरण में आज एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी अप्रार्थी सं. 9 की ओर
पेश कर कहा है कि उक्त आराजी का सालासर काम्पलेक्सेज ने बेचान कर दिया है
ह अब आवश्यक पक्षकार नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। इस
र सालासर काम्पलेक्सेज के अधिवक्ता ने कहा कि आज की तिथी में राजस्व रिकॉर्ड
हमारा नाम दर्ज है तथा संभागीय आयुक्त न्यायालय का स्थगन भी है इसलिए
तबतक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो तब तक राजस्व रिकॉर्ड में क्रेता का
ाम दर्ज नहीं हो सकता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर पत्थरगढी
ा आदेश प्रदान करें। इसी दौरान सालासर काम्पलेक्सेज की भूमि के क्रेता कम्पनी
प्रेंस पाईप लि. की ओर से अधिकृत अशोक झालन की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र
ार्मा एवं हनुमान जाखड द्वारा वकालत नामा पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज
कर पत्थरगढी कराई जाने हेतु सहमति दी गई। तहसीलदार फुलेरा की ओर से भी
सीमा विवाद विषयक रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड पेश हुआ तथा पुलिस थाना जोबनेर ने भी
त्रांक 1816 दिनांक 05.04.18 को पत्र भेजकर निवेदन किया है कि दोनो पक्षो के मध्य
वेवाद चल रहा है इनका सीमा ज्ञान व पत्थरगढी शीध्र करने का निवेदन किया ताकि
अभियोग स0 51/18 धारा 447 भा.द.स. 17.02.18 का निस्तारण हो सकें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया बहस पक्षकारन सुनी गई तहसीलदार फुलेरा तथा थानाधिकारी जोबनेर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया इन सबसे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि दोनो पक्षो के मध्य अपनी अपनी खातेदारी भूमि के सीमा का विवाद है जिसका निस्तारण पत्थरगढी से ही संभव है दोनो पक्षो ने पत्थरगढी कराने का निवेदन संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में भी किया है। अब अपीलार्थी पक्ष संभागीय आयुक्त के न्यायालय की पालना कराने में जानबुझकर देरी कर रहा है। जबकि वहां आपसी सहमति से पत्थरगढी कराने का निवेदन किया था और अब अपीलार्थी पक्ष स्वयं प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में देरी कराना चाहते है। एक तरफ इसी न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सीमा की सुरक्षा हेतु वाद पेश कर रखा है। और अब पत्थरगढी कराने में देरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है। जिसे खारिज किया जाता है। सीमा, अनीता व कविता दूसरे प्रकरण में उपस्थित है जिसमें विवादित आराजी तथा पक्षकार समान है, स्वयं माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर अपील में गई है परन्तु अव उपस्थित होना नहीं चाहते है। इनको जरिये रजि0 भी तलब किया हैं। परन्तु जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है ऐसी सूरत में इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के अपील संख्या 25/2018 निर्णय दिनांक 07.02.18 अनुसार प्रकरण इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ कि प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभय पक्ष की आराजी की पुनः सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही 15 दिवस में कराई जावें। पुनः पत्थरगढी की कार्यवाही तक विवादित सीमाओं की आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथावत स्थिति रखी जावें। उक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यों को देखते हुए तथा तहसीलदार फुलेरा, थानाधिकारी जोबनेर से प्राप्त रिपोर्टो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिया जाता है कि सर्वे टीम गठित कर स्वयं की उपस्थिति में उभय पक्षकारान को सूचित करते हुए दोनो पक्षकारान खातेदारी की भूमि यथा ख.नं. 102, 115/2, 119, 120, 121, 122, 124/4, 124/1, 125, 126, 127/1, 131, 132, 133, 134, 135, 144/2, 145, 1075, 116, 1077, 106, 1708/103, 1709/107, 105, 104 एवं 115/1, 117, 124/2, 1077/1, 123, 1634/216 वाके ग्राम आसलपुर तहसील फुलेरा जिला जयपुर की मुताबिक राजस्व नक्शा किश्तवार

उ. अधिकारी
लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अनुसार सीमांकन एवं पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा उक्त सीमाकनं/पत्थरगढी की कार्यवाही तिथि बाबत संबंधित ग्राम आसलपुर के सरपंच/सचिव को भी सूचित करते हुए राजकीय भूमि गै.मु. रास्ता ख.नं. 118 की हद–हदूद का मौके पर कायम कराया जाकर आम रास्ता चालू कराया जाना सुनिश्चित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि उक्त राजकीय आम रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार से आवागमन में अवरोध पैदा नहीं किया जावें। थानाधिकारी जोबनेर मय जाप्ता पुलिस उक्त सीमाकंन/पत्थरगढी के समय शांति व्यवस्था कायम करने हेतु उपस्थित रहते हुए लम्बित प्रकरण सं. 51/18 से संबंधित वांछनीय दस्तावेज रिर्पोट बहमराह तहसीलदार फुलेरा नियमानुसार पूर्ण करें पुनः पत्थरगढी की कार्यवाही तक अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.18 की पालना हेतु उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की एक–एक प्रति प्रमाणित अप्रार्थीगण को निःशुल्क जरिये रजि. डाक उनके निवास पते पर भिजवाते हुए सूचित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभुदयाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner